बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 379877 पटना, दिनांक 19/07/18

ग्रा0वि0-6-बजट/05-04/2018

प्रेषक,

राधाकिशोर झा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय -: वित्तीय वर्ष -2018-19 में मांग संख्या 42 के तहत एन0आर0एल0एम0/ आजीविका योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति मद में विमुक्त कुल केन्द्रांश की राशि रू0 17615.27 लाख (एक अरब छिहतर करोड़ पन्द्रह लाख सताईस हजार) के विरूद्ध 60:40 के अनुपात में देय अनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 11743.51 लाख (एक अरब सतरह करोड तेतालीस लाख एकाबन हजार) के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018-19 में एन0आर0एल0एम0 योजना के सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति मद में बजट उपबंधित राज्यांश की राशि में से उपलब्ध राशि से सहायक अनुदान मद में राशि रू0 10163.33 लाख (एक अरब एक करोड़ तिरसठ लाख तेतीस हजार) का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 378459 दिनांक 11.07.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- J-12014/01/2018-RL(NRLM_5A), J-12014/01/2018-RL(NRLM_5B), J-12014/01/2018-RL(NRLM_5C) दिनांक 23.04.2018 के द्वारा एन0आर0एल0एम0/ आजीविका योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति मद में केन्द्रांश के रूप में क्रमशः रू0 8807.64 लाख, रू0 5108.43 लाख तथा रू0 3699.20 लाख की राशि विमुक्त की गई है, जिसके विरूद्ध 60:40 के अनुपात में सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति मद में देय आनुपातिक राज्यांश की राशि क्रमशः रू0 5871.76 लाख, रू0 3405.62 लाख तथा रू0 2466.13 लाख का आवंटन किया जाना है । जीविका के पत्रांक 1268 दिनांक 13.07.2018 द्वारा एन0आर0एल0एम0 योजना अन्तर्गत विमुक्त केन्द्रांश की राशि रू0 17615.27 लाख (एक अरब छिहतर करोड़ पन्द्रह लाख सताईस हजार) एवं देय अनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 11743.51 लाख (एक अरब सतरह करोड तेतालीस लाख एकाबन हजार) की मांग की गई है ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में एन0आर0एल0एम0 योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति मद में राशि रू0 10163.33 लाख (एक अरब एक करोड़ तिरसठ लाख

Allotment राज्यांश NRLM-2018-19-01

तेतीस हजार) का बजट उपबंध किया गया है तथा बजट उपबंधित राशि के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-378459 दिनांक 11.07.2018 द्वारा राशि रू0 10163.33 लाख (एक अरब एक करोड़ तिरसठ लाख तेतीस हजार) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है । इस प्रकार वर्तमान में विमुक्त केन्द्रांश के विरूद्ध देय आनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 11743.51 लाख (एक अरब सतरह करोड तेतालीस लाख एकाबन हजार) के विरूद्ध उपलब्ध राशि रू0 10163.33 लाख (एक अरब एक करोड़ तिरसठ लाख तेतीस हजार) आवंटित किया जा सकता है ।

अतएव भारत सरकार के उक्त पत्र के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 378459 दिनांक 11.07.2018 द्वारा स्वीकृत राशि में से उपलब्ध राशि रू0 10163.33 लाख (एक अरब एक करोड़ तिरसठ लाख तेतीस हजार) को राज्यांश के सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नवत आवंटित किया जाता है :-

राशि रू0 लाख में

क्र0सं0	मद एवं विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	2	3
1	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष- 0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42- 2501061010302 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (सामान्य मद)	5082.33
2	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष- 0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42- 2501067890302 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (अनुसूचित जाति मद)	2947.00
3	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष- 0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42- 2501067960302 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (अनुसूचित जनजाति मद)	2134.00
	कुल -	10163.33 लाख (एक अरब एक करोड़ तिरसठ लाख तेतीस हजार)

2. इस राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 378457 दिनांक 11.07.2018 द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जाता है ।

3. स्वीकृत राशि की निकासी विभागीय मांग संख्या 42 अन्तर्गत उपरोक्त सारणी के कॉलम 2 में अंकित बजट शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में विकलनीय है ।

Allotment राज्यांश NRLM-2018-19-01

4. ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक- 3873 दिनांक- 12.04.2006 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संदर्भ में वित्त विभागीय परिपत्र सं0- 2561वि0(2) दिनांक- 17.04.1998 की कंडिका-2 में निहित प्रावधानों को प्रभावहीन किया गया है । वित्त विभाग के परिपत्र सं0- 5294 दिनांक- 17.06.2015 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों के अंतर्गत राशि व्यय की जायेगी ।

5. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होगें तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी ।

6. विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना स्वीकृत राशि की निकासी कर Bihar Rural Livelihoods Promotion Society, BRLPS-SRLM, Canara Bank, Account No.- 8531101010676, IFSC Code- CNRB0008531, Vidhyut Bhawan, Bailey Road, Patna, Bihar में जमा कर देंगे ।

7. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक, बी0आर0एल0पी0एस0, विद्युत भवन, पटना इस राशि की निकासी कर संबंधित योजना पर व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार, नई दिल्ली, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को उपलब्ध करायेंगे ।

8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले.हक.), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

(राधाकिशोर झा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 379877 पटना, दिनांक 19/07/18

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 379877 पटना, दिनांक 19/07/18

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 379877 पटना, दिनांक 19/07/18

प्रतिलिपि- श्रीमती अनिता बघेल, निदेशक (आर.एल.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, छठवीं मंजिल सम्राट होटल, चाणक्यपुरी नई दिल्ली-110021/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक, बी0आर0एल0पी0एस0, विद्युत भवन, पटना / आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु)/ प्रभारी सांख्यिकी सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) एवं प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-6 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित

सरकार के अपर सचिव

Allotment राज्यांश NRLM-2018-19-01